

सेवा में,

सी.पी.आई.ओ.
डी.ओ.पी.टी.

विषय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने वावत् ।

श्रीमान जी,

कृप्या निम्न जानकारी देने की कृपा करें ।

1. 6 वेतन आयोग की सिफारिश में जो चपरासी को एल.डी.सी. बनाने की सिफारिश की गई थी वह किस वर्ष में एल.डी.सी. बनाये जायेंगे । कृप्या स्थिति स्पष्ट करें ।
2. 2013 में एम.टी.एस. के छापे की कापी प्रस्तुत करें ।
3. सन् 2013 में एम.टी.एस, एस.एस.सी. द्वारा नियुक्त हुए तथा उनमें से कितने एम.टी.एस, को आई.एस.टी.एम के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं कितने पूर्व के एम.टी.एस, को भी आई.एस.टी.एम के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि 10वीं तथा 12वीं पास हैं पूरी जानकारी प्रस्तुत करें ।
4. कितने पिछले 6 वर्ष में सामान्य श्रेणी के सी.एस.सी.एस केडर में चपरासी के पद से बिना विभागीय परिक्षा पास किए बनाये गये हैं । पूर्ण जानकारी दें ।
5. कृप्या बतायें डी.ओ.पी.टी में कितने एम.टी.एस 8वीं, 10वीं तथा 12वीं पास हैं । और उन्हें 6 वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर पहली गेड पे किया दी गई थी प्रत्येक की जानकारी प्रस्तुत करें ।
6. भारत सरकार के किस नियम के अनुसार सन् 2013 के नियुक्त एम.टी.एस. जो कि सबसे जूनियर होने के बाद आई.एस.टी.एम प्रशिक्षण लेने के हकदार हैं उस नियम की प्रति देने की कृपा करें ।
7. कृप्या बतायें कि भारत सरकार में कार्यरत पूर्व एम.टी.एस, 10वीं तथा 12वीं पास को आई.एस.टी.एम में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है । उन्हें कब तक एल.डी.सी. बनाये जाने की संभावना है जानकारी दें ।
8. क्या भारत सरकार के किस नियम में जूनियर को सिनियर से पहले आई.एस.टी.एम का प्रशिक्षण दिया जा सकता है नियम कि प्रतिलिपि देने की कृपा करें ।

राजेश कुमार
म.न. 8565, आराकाशा रोड,
पहाडगंज,
नई दिल्ली.110055